छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत क्रमांक 187/2007</u>

श्री शिवा धृतलहरे,
पंच,
ग्राम व पोस्ट–कूंरा,
तहसील–नवागढ़, ... आवेदक
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
सरपंच, ग्राम पंचायत–कूंरा,
तहसील–नवागढ़, ... अनावेदक
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 06 अगस्त 2007)

श्री शिवा धृतलहरे, पंच, ग्राम पंचायत–कूंरा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा दिनांक 28.03.2006 को सरपंच, ग्राम पंचायत–कूंरा से फरवरी 2005 से दिनांक 28–03–2006 तक की रोकड़ बही, रसीद बुक, कार्यवाही पंजी की सत्यप्रतिलिपि मांगी गई थी। इसी प्रकार आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से भी ग्राम पंचायत–कूंरा के माह फरवरी 2005 से दिनांक 10.05.2006 तक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–नवागढ़, जिला–दुर्ग से ग्राम पंचायत–कूंरा के माह फरवरी 2005 से दिनांक 29.05.2006 तक की रोकड़ बही आदि तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ़ से ही दि. 30.03.2006 से दिनांक 13.02.2006 तक की रोकड़ बही, रसीद बुक, कार्यवाही पंजी आदि की जानकारी मांगी। उक्त जानकारी के आवेदन पत्र पर उसने उल्लेख किया कि वह इस हेतु शुल्क देने हेतु सहमत है। उसने यह भी शिकायत की कि उसे किसी भी कार्यालय से जानकारी निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं हुई।

2/ आयोग के द्वारा आवेदक एवं सरपंच ग्राम पंचायत–कूंरा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–नवागढ़ को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 08.06.2007 को सरपंच श्रीमती गौतम उपस्थित हुई। उन्होंने बतलाया कि आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क जमा नहीं किया था। सरपंच अशिक्षित है। शिकायतकर्ता ने बतलाया कि उसके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। अतः आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए कि आवेदक को रू. 100/– तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे। उससे अधिक की जानकारी यदि वह चाहता है तो शुल्क लेकर उसको दी जावे। यह भी निर्देश दिए गए कि चूंकि आवेदक को निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, अतः आवेदक को हुए

आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए रू. 500/– की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश भी दिए गए। साथ ही विलंब के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–नवागढ़ तथा पूर्व सचिव, ग्राम पंचायत श्री एस.पी. द्विवेदी को रू. 5000/– का अर्थदण्ड क्यों न दिया जावे, का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सरपंच एवं पूर्व सचिव श्री एस.पी. द्विवेदी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सरपंच ने बताया कि आवेदक को दिनांक 08.06.2007 के आदेश के अनुसार रिकार्ड के निरीक्षण के लिए लिखा गया था किन्तु उसने सूचना पत्र लेने से इंकार किया, जिसका कि पंचनामा भी दिनांक 20.06.2007 को बनाया गया, जो कि प्रकरण में संलग्न है। पूर्व सचिव श्री एस.पी. द्विवेदी ने बताया कि आवेदक ने केवल आवेदन पत्र दिए। आवेदन शुल्क जमा नहीं किया। नोटिस दिनांक 08.05.2006 के बाद भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करने के कारण जानकारी नहीं दिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नवागढ़ के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि जानकारी ग्राम पंचायत स्तर की थी।

3/ आयोग के द्वारा आवेदक एवं अनावेदक दोनों पक्षों को सुना गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार किया गया। आवेदक का मुख्य कथन यही है कि उसे ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई अतः इन दोनों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। सरपंच, ग्राम पंचायत एवं तत्कालीन सचिव ने इस आधार पर जानकारी नहीं दी कि आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसे आवेदन शुल्क जमा करने के लिए सूचित किया गया था किन्तु उसने जमा नहीं कराया। इस कारण उसे जानकारी नहीं दी गई। आवेदक का यह कथन है कि वह गरीबी रेखा के नीचे है। अतः उसे आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने जो भी आवेदन दिए हैं कि उन सबमें उल्लेख किया है कि वह शुल्क देने के लिए तैयार है तथा किसी भी आवेदन पत्र के साथ उसने गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, इसका कोई प्रमाण अपील में प्रस्तुत नहीं किया। अपील में अवश्य उसने गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड प्रस्तुत किया है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि उसे आयोग के निर्देशानुसार अभिलेख देखने के लिए नोटिस दिया गया था किन्तु उसने नोटिस लेने से इंकार किया जिसका कि पंचनामा ग्राम पंचायत के द्वारा बनाकर उसकी प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी आवेदक को दिनांक 19.07.2007 को सूचित किया कि 50 पृष्ठों की रू. 100/– अभिलेख शुल्क की जानकारी आयोग के निर्देशानुसार उसे निःशुल्क दी जा सकती है। शेष पृष्ठों का अभिलेख शुल्क रू. 1146/– जमा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनावेदक के द्वारा यह भी बतलाया गया कि आवेदक ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया। यह भी बतलाया गया कि आवेदक को जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग के निर्देशानुसार बुलाया गया। आवेदक को जानकारी 530 पृष्ठों की दी गई किन्तु उसने मिलान करने के बाद लेने का कहकर लेने से इंकार किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलान करने के लिए तैयार थे किन्तु उसके पश्चात् भी आवेदक ने जानकारी लेने से इंकार किया जिसका कि पंचनामा भी बनाया गया तथा आयोग के समक्ष उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। प्रकरण में आवेदक की शिकायत के साथ संलग्न आवेदनों से भी स्पष्ट है कि उसने अलग–अलग समय की ग्राम पंचायत की रोकड़ बही, कार्यवाही पंजी, रसीद बुक, व्हाउचर फाईल की सत्यप्रतिलिपियां मांगी है। उसने माह फरवरी 2005 से 10.03.2007 तक की अवधि की उक्त अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपियां मांगी और यह

आवेदन अलग–अलग समय में अलग–अलग अवधि में दिए और आयोग के निर्देशानुसार जानकारी दिए जाने के आदेश के पश्चात् भी जानकारी नहीं ली। इससे स्पष्ट है कि आवेदक का उद्देश्य जानकारी लेना नहीं वरन् ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों को परेशान करना है। आवेदक को अभिलेख देखने का भी अवसर दिया गया था किन्तु उसने अभिलेख अवलोकन भी नहीं किया। ग्राम पंचायत की इतनी अधिक जानकारी मांगे जाने का उद्देश्य ही पंचायत के पदाधिकारियों को परेशान करना प्रतीत होता है। चूंकि आवेदक को जानकारी दिए जाने हेतु तैयार कर ली गई थी एवं आवेदक ने जानकारी नहीं ली। अतः यह स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबुझकर अथवा द्वेषवश आवेदक को जानकारी नहीं दिए जाने का प्रमाण नहीं है। अतः जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत, तत्कालीन सचिव श्री एस.पी. द्विवेदी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नवागढ़ के विरूद्ध शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किए जाते हैं। आवेदक को ग्राम पचांयत के द्वारा रू. 500/– की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है जिसकी कि छायाप्रति आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। चूंकि आवेदक ने स्वयं जानकारी प्राप्त नहीं की है अतः इस प्रकरण में और अन्य कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

4/ आवेदक की शिकायत का उपरोक्तानुसार निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त